

सं./No.11/7/2008 - VS (CRS)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्टार का कार्यालय

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड-1, रामकृष्ण पुरम्, नई दिल्ली - 110066

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

V.S. Division, West Block -I, R.K. Puram, New Delhi - 110066

Tele-fax: 26104012

E-mail – drq-crs.rqi@censusindia.qov.in

Dated - 08/03/2013

CIRCULAR

Sub: To improve the reporting of registration of Death.

Sir,

You are aware that registration of births and deaths is mandatory under the provision of Registration of Births and Deaths (RBD) Act, 1969. Despite of death registration mandatory, national level of registration of death is only 67%. This is mainly because majority of domicile deaths including infant and female deaths are not reported for registration.

- 2. In this connection, your attention is also invited to the decisions taken in the National Conference of Chief Registrar of births and deaths held on $5^{th}-6^{th}$ March, 2009 wherein recommendation No. 2.3 emphasized the need to devise suitable strategies to track down unreported / unregistered deaths.
- 3. To track down the unreported deaths, the States are advised to appoint the in-charge or caretaker of cremation ground / burial ground as a notifier under Section 10 of the RBD Act, 1969. While sending the information by notifiers, they may be instructed to clearly mention place of death (domiciliary / Institutional) to ward off double registration.
- 4. You are requested to take necessary action in this regard and keep this office informed on the steps taken.

Yours faithfully

P.A. Mini)

Deputy Registrar General (CRS)

To,

All Chief Registrars of Births and Deaths







सं. 11/7/2008-जीवनांक (सीआरएस)

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

वी.एस.डिवीजन, पश्चिमी खण्ड-।, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066

V.S. Division, West Block -I, R.K. Puram, New Delhi - 110066

टेली/फैक्स नं./Tele-fax.No.26104012

E-mail - drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक 25- 03- 2013

<u>परिपत्र</u>

विषय : मृत्यु पंजीकरण की रिपॉटिंग में सुधार लाने के लिए।

महोदय,

जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण जन्म मृत्यु रिजस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 के अंतर्गत अनिवार्य है । मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य होने के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु का रिजस्ट्रेशन स्तर 67 प्रतिशत ही है । ऐसा मुख्यता घर में होने वाली मृत्यु यथा शिशु मृत्यु तथा स्त्री की मृत्यु की सूचना का रिजस्ट्रेशन हेतु प्राप्त नहीं होना है ।

- 2. इस संबंध में आपका ध्यान 5 व 6 मार्च, 2009 को संपन्न हुए मुख्य रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु के राष्ट्रीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय की ओर दिलाया जाता है जिसमें सिफारिश संख्या 2.3 में इस बात पर जोर दिया गया था कि अपंजीकृत मृत्यु की घटनाएं तथा ऐसी घटना जिनकी रिपोर्ट नहीं की जा रही है उनको भी पंजीकृत करें।
- 3. अपंजीकृत मृत्यु की घटनाओं को पंजीकृत करने हेतु राज्य को सलाह दी जाती है कि जनम मृत्यु रिजस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 की धारा 10 कि अंतर्गत शमशान भूमि/कब्रिस्तान के प्रभारी को अधिसूचक घोषित किया जाए । मृत्यु के दोहरे रिजस्ट्रीकरण को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि अधिसूचकों को सूचना भेजते समय यह निर्देश दिया जाए कि मृत्यु के स्थान को अर्थात् संस्थागत मृत्यु है या गैर-सस्थागत (घरेलू) मृत्यु इसे स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाए ।

4. आपसे अनुरोध है कि इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं तथा उठाए गए कदमों से इस कार्यालय को शीघ्र ही सूचित करें ।

310 रवड़ी
(अजय खन्ना)

उप निदेशक (सी.आर.एस.)

मुख्य रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ।